

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक/अकादमिक/शोध/2025/1803

रीवा, दिनांक:-18-7-25

अधिसूचना

1. श्री वीरन सिंह भलावी, अवर सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक 770/81/CC/ 2024/38 भोपाल दिनांक 04.11.2024 के अनुक्रम में विद्या परिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 27.11.2024 के बिन्दु क्रमांक-4 के निर्णयानुसार अध्यादेश क्रमांक 14(1) अकादमिक सत्र 2025-26 से चरणबद्ध रूप से लागू करने की अनुसंशा की जाती है।

2. अवर सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक 1/240916/2025/162/CC/2024/38-Part (1) भोपाल दिनांक 23.04.2025 के पारिपालन में विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.05.2025 के बिन्दु क्रमांक 3 अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण 1 के निर्णयानुसार अध्यादेश 14 (1) की तरह अध्यादेश 14 (2) को भी सत्र 2025-26 से लागू किये जाने की अनुसंशा की जाती है।

उपरोक्त निर्णय एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है। यह अधिसूचना समस्त संबंधितों की जानकारी एवं अनुपालन हेतु निर्गत की जाती है।

आदेशानुसार,


कुलसचिव


प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन भोपाल।
2. विशेष सहायक माननीय मंत्री जी मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय शैक्षणिक विभाग, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)
4. संचालक, शोध संचालनालय, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)
5. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद्, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)
6. परीक्षा नियंत्रक, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)
7. डॉ. पी.के. राय, विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अप्लीकेशन विभाग की ओर भेजकर निवेदन है कि विश्वविद्यालय की वेबसाईट में अपलोड करने का कष्ट करें।
8. सहायक कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) की ओर सूचनार्थ।
9. कुलगुरु जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।
10. सम्बन्धित नस्ती।


उप कुलसचिव (अका.)